फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :– 90/2020

मूलचन्द **बनाम** सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.12.2020	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र क्रमांक/भू0अ0/4716 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र मूलचन्द पुत्र भेरू मीना निवासी स्वय का व पिता का नाम जमाबन्दी में ग्राम कोहल्या व नन्दलालपुरा में दुरूस्ती का पेश किये जाने पर बाद जॉच कर 136 के तहत शुद्धि किये जाने हेतु भिजवाया गया है। जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रकरण का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी का नाम ग्राम कोहल्या के खाता सं 66 व 71 में मुल्या पुत्र भेरू मीना है व ग्राम नन्दलालपुरा की जमाबन्दी के खाता संख्या 5 में मूलचन्द पुत्र भोरया अंकित है जिसे मुलचंद पुत्र भैरू शुद्ध करवाना चाहता है, उक्त शुद्धि किये जाने बाबत् तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट के साथ स्वंय प्रार्थी मूलचंद का शपथ पत्र, जमाबन्दी ग्राम कोहल्या खाता संख्या 66, 71 व नन्दलालपुरा की खाता संख्या 5 चुनाव पहचान पत्र मोतीदेवी पत्नि मुलचन्द का आधार कार्ड, स्वयं मुलचन्द पुत्र भैरूराम का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड के दस्तावेज बतौर सबुत भिजवाये गये है, जिनका अवलोकन से प्रार्थी का नाम राजस्व जमाबन्दी में लिपिकीय भूल से मुल्या एवं प्रार्थी के पिता का नाम भोरया अंकित हो गया जबकि बाकि समस्त दस्तावेज में मूलचन्द पत्र भेरूराम अंकित है जिसे तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज शपथ पत्र आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड के आधार पर प्रार्थी एवं प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व जमाबन्दी में शुद्ध किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी का 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोहल्या तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 66 पुराना 59 किता 20 रकबा 3.63 है0 व खाता संख्या 71 नया व पुराना 64 में किता 1 रकबा 0.33 है में दर्ज नाम मुल्या पुत्र भैरू मीना के स्थान पर मुलचन्द पुत्र भैरूराम मीना व ग्राम नन्दलालपुरा के खाता नंबर 5 किता 1 रकबा 0.14 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम मुलचन्द पुत्र भोरिया के स्थान पर मुलचन्द पुत्र भैरूराम मीना शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध दर्ज किया जावें निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)	